

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

प्रकल्प शिड्डकी कीवल आवासीय प्रयोजनालय
कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 667 दिनांक 11/8/2020

प्रार्थी अमिताभ श्याम सुखा ड।० श्री प्रकाश श्याम सुखा

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 P-210 = 184 (मूल का अणु) ग्राम

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश जोधपुर शहर संख्या 775/72, 68

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 14395/- जमा 71, 49, 47 पृ 46

जरिये रसीद संख्या 2062/1001, 1002

दिनांक 11/8/2020 को जमा करा दी है ।

11/8/2020

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जोधपुर

जी+1
आवासीय

11/8/2020